



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3437]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941

No. 3437]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3789(अ).—आय पर करों की बाबत कराधान का परिवर्जन और राजवित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए भारत गणराज्य और किंगडम ऑफ मोरक्को की सरकार के बीच संशोधनकारी प्रोटोकाल पर, नई दिल्ली में, तारीख 8 अगस्त, 2013 को अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए, जो इस अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रोटोकाल कहा गया है) से संलग्न उपाबंध में उपवर्णित है;

और उक्त प्रोटोकाल के प्रवृत्त होने की तारीख 15 जुलाई, 2019 है, उक्त प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2 के अनुसार उक्त प्रोटोकाल के प्रवृत्त होने की तारीख, अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरे होने की पश्चातवर्ती तारीख है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि उक्त प्रोटोकाल के सभी उपाबंध, जो इसमें उपाबद्ध हैं, भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

अनुबंध**आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ मोरक्को की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल**

भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ मोरक्को की सरकार;

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ मोरक्को की सरकार के बीच रबात में दिनांक 30 अक्टूबर, 1998 को हस्ताक्षरित अभिसमय (जिसका इसके बाद "अभिसमय" के रूप में उल्लेख किया गया है) का संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल को सम्पन्न करने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 26 को हटा दिया जाएगा और निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद 26**सूचना का आदान-प्रदान**

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को लागू करने अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के लिए आनुमानिक रूप से संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में उनका निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं। सूचना को अनुरोधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट लिखित सहमति के बगैर अनुरोधकर्ता संविदाकारी राज्य के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा प्रवर्तन एजेंसी को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;
- ख) ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) प्रदान करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक)।

4. यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए सूचना एकत्र करने वाले अपने उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई

आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं संविदाकारी राज्य को केवल इस कारण से सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देना कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए अनुमति देने से नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरनामिती या व्यक्ति के पास है या क्योंकि यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद-2

प्रवृत्त होना

संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बारे में राजनयिक माध्यम से लिखित में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। प्रोटोकॉल, अंतिम अधिसूचना की तारीख को लागू होगा।

जिसके साक्ष्य में, विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार तेरह के अगस्त माह के आठवें दिन हिन्दी, अरेबिक एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से:

किंगडम ऑफ मोरक्को की
सरकार की ओर से :

(डॉ. सुधा शर्मा)
अध्यक्ष
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

(लार्बी रेफो)
मोरक्को के महामहिम नरेश
के भारत में राजदूत

[अधिसूचना संख्या 84/2019/फा. सं. 503/09/2009-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2019

S.O. 3789(E).—Whereas, the Protocol amending the Convention between the Republic of India and the Government of the Kingdom of Morocco for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has been signed at New Delhi on the 8th day of August, 2013, as set out in the annexure appended to this notification (hereinafter referred to as the said Protocol);

And whereas, the date of entry into force of the said Protocol is 15th July, 2019, being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required for the entry into force of the said Protocol, in accordance with Article 2 of the said Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said Protocol, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

**PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE KINGDOM OF MOROCCO
FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Morocco,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Morocco for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at Rabat on 30th October, 1998 (hereinafter referred to as “the Convention”).

Have agreed as follows:

Article 1

Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by:

“ARTICLE 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other authority or enforcement agency of the requesting Contracting State without the express written consent of the competent authority of the requested contracting state.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

- b) to supply information (including documents or certified copies of the documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting state to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

Article 2

ENTRY INTO FORCE

The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channel of the completion of the procedures required for the entry into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force on the date of the later of the notifications.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi, this 8th day of August, 2013, in the English, Hindi and Arabic languages, all texts equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
REPUBLIC OF INDIA

(Dr. Sudha Sharma)
Chairperson,
Central Board of Direct Taxes,
Department of Revenue,
Ministry of Finance,
Government of India

FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF MOROCCO

(Larbi Reffouh)
Ambassador of His Majesty
The King of Morocco to India

[Notification No.84/2019/F. No. 503/09/2009-FTD-II]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.